संख्या- 57/2016/771/41-2016-462 सा0/13

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 मई, 2016

विषय- आयोजनागत पक्ष में विज्ञापन द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-108/4-1-1/(बजट)/प्र0/2016, दिनॉक 05-05-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनागत पक्ष में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष कार्ययोजना एवं धनराशि का उपयोग निम्नलिखित विवरणानुसार किये जाने तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

(रू0 लाख में)

क्र0	**प्रचार-प्रसार का माध्यम**	**धनराशि**
1.	इलेक्ट्रानिक मीडिया:- • डाक्यूमेण्ट्री फिल्म निर्माण, टी0वी0सी0 ऐरिंग रेडियों पर जिंगल प्रसार आदि का कार्य	200.00
2.	प्रिंटिग मीडिया:- • ट्रेवल एवं टूरिज्म पत्रिका, समाचार पत्र	300.00
3.	आउटडोर मीडिया:- • एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन रैप एवं इनसाइट पैनल, रेलवे रिजर्वेशन काउण्टर, एल0ई0डी0 स्क्रीन इन्फलाइट बैंडिंग प्रमोशन, महत्वपूर्ण आयोजनों में स्पांसरशिप आदि का कार्य।	800.00
4.	डिजिटल मीडिया:- • डिजिटल सिनेमा स्क्रीन, मोबाइल एप्लिकेशन, सोशल मीडिया, वेबसाइट आदि का कार्य।	200.00
	योग	**1500.00**

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आयोजनागत पक्ष में व्यवस्थित बजट प्राविधान के सापेक्ष तथा उपरोक्त विवरणानुसार विज्ञापन द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु धनराशि रू0 1500.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं -

http://shasanadesh.up.nic.in

1. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा और जहां कही भी आवश्यक है तो व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था के सम्बन्ध में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करके कार्य कराया जायेगा।
6. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
7. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-3452-पर्यटन आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रसार-19-विज्ञापन विक्री और विख्यापन व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या- /2016/771 (1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
5- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in